५. मौलिक अधिकार भाग–२

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है । हमने स्वतंत्रता, समता के साथ–साथ शोषण के विरुद्ध के अधिकार का अध्ययन किया । इस पाठ में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे । साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है परंतु इस विषय में संविधान में क्या लिखा हुआ है; इसे समझ लेने की उत्सुकता तुममें होगी ना ? तो इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त है । इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्‌देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है । (१) जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा; सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती । संक्षेप में; संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । (२) सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता ।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार : हमारे देश में तीज–त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है; यह हम देखते हैं । तुमने विवाह समारोह में देखा ही होगा तो तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जानेवाला अंतर अनुभव हुआ ही होगा । ये सभी अलग–अलग बातें अथवा भिन्नताएँ अलग–अलग लोकसमूह की संस्कृति का हिस्सा होती हैं । हमारे संविधान ने विभिन्न लोकसमूहों, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है । इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं लेकिन इसके साथ–साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं । भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है ।

ढूँढ़ो और चर्चा करो

- संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है ?
- हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है ?
- मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है ?

चलो, चर्चा करें

महाराष्ट्र सरकार और न्यायालय का सभी कामकाज मराठी में किया जाना चाहिए; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ? इसके लिए क्या करना होगा ?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है । इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय माँगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है । इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधनकारक है ।

संविधान द्वारा दिए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का

अधिकार हनन के अन्य प्रकार

- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को बंदी बनाना ।
- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को गाँव/शहर छोड़कर जाने के लिए मना करना ।
- कारागार के बंदियों/कैदियों को भोजन तथा औषधि से वंचित रखना ।

उपयोग कर नहीं पाते । इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ; ऐसा कहते हैं । अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है । उसकी जाँच-पड़ताल करता है। यदि सचमुच अधिकार का हनन हुआ है अथवा संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है; ऐसा न्यायालय को अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय करता है ।

अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश : नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया ।

(१) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) : अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्‌ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना ।

(२) परमादेश (Mandanus) : लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश।

सरकारी अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

निराधारों के लिए बनाई गई एक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला ने सभी आवश्यक कागज (दस्तावेज) अधिकारी को दिए । उस समय अधिकारी ने यह कहकर, 'तुम निराधार (बेसहारा) नहीं लगती।' उस महिला को लाभ प्रदान करने से नकार दिया । अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उपरोक्त घटना में महिला के अधिकार का हनन हुआ है? यदि उस महिला को न्याय माँगना है तो उसे कहाँ जाना चाहिए ?

न्यायालय का कामकाज

(३) निषेधात्मक आदेश (Prohibition) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना ।

(४) स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार (Quo Warranto) : किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है; इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से माँगने का न्यायालयीन आदेश ।

(५) उत्प्रेक्षण (Certiorari) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना ।

इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्‌धति से कर सकते हैं । वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं । मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए । इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. लेखन करो :

(१) धार्मिक कर लगाने पर संविधान प्रतिबंध लगाता है ।

(२) संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ है ?

२. उचित शब्द लिखो :

(१) अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने तथा स्थानबद्‌ध करने से प्राप्त संरक्षण –

(२) किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की है, इस प्रकार का सरकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगनेवाला न्यायालयीन आदेश –

(३) लोकहित में कोई कार्य करने हेतु सरकार को दिया जानेवाला न्यायालय का आदेश

(४) निचला अथवा कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे; इस विषय में दिया जानेवाला आदेश –

३. हम यह कर सकते हैं; इसका कारण आगे स्पष्ट करो :

(१) सभी भारतीय नागरिक सभी पर्व-उत्सव हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं । क्योंकि ...

(२) मैं हिंदी भाषा में पढ़ाई कर सकता हूँ । क्योंकि...

४. रिक्त स्थान में भला कौन-सा शब्द लिखना चाहिए :

(१) अधिकार हनन के संबंध में हमारी शिकायत पर .... विचार करता है ।

(२) सरकार से आर्थिक सहायता लेनेवाले विद्‌यालयों में .... शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती ।

उपक्रम

तुम अपने विद्‌यालय में न्यायाधीश, वकील, पुलिस अधिकारी के साक्षात्कार का आयोजन करो ।

7EGP6H